न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः–156 / 2013 / दावा

1. चन्द्रादेवी पत्नि महेन्द्र कुमार
2. रेणु देवी पत्नि नरेन्द्र कुमार

समस्त जाति महाजन निवासीगण नया शहर सीकर।

बनाम

1. भगताराम पुत्र मूलाराम जाति कहार निवासी कहारों की ढाणी तन रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. जगदीश पुत्र भगताराम जाति कहार निवासी कहारों की ढाणी तन रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. नाथूराम पुत्र नोलाराम जाति कहार निवासी रैवासा (फौत)–

3/1. शान्ति पत्नि स्व. नाथू कहार

3/2. सीताराम पुत्र स्व. नाथू कहार

3/3. सुरेश कुमार कहार दत्तक पुत्र श्यामलाल पुत्र नाथू कहार

3/4. मधु पुत्री स्व. नाथू कहार पत्नि सुगनचन्द कहार

3/5. रतनी पुत्री स्व. नाथू कहार पत्नि ओमप्रकाश कहार

निवासीगण कहारों की ढाणी तन रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ।

[redacted] दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः

1. श्री योगेश शर्मा वकील वादीयागण की ओर सें।
2. श्री अनिल कुमार शर्मा वकील प्रतिवादीगण की ओर सें।

निर्णय दिनांक 14.10.2019

1. वाद में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ उपतहसील पलसाना जिला सीकर की तन में आराजी खसरा नम्बर 602 रकबा 1 है0 व खसरा नम्बर 606 रकबा 0.50 है0 अवस्थित है जिसकी वादीयागण काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमियों सें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का कोई सरोकार नहीं है इसके बावजूद भी वादीगण की फसल को आये दिन प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)
दाँतारामगढ(सीकर)

Scanned by CamScanner

संख्या 1 ता 3 बरबाद करते है। वादीगण की आराजी में गढे खोदते है तथा वादीगण की फसल व जमीन को नुकसान पहुंचाते है। प्रतिवादीगण मौका पाकर फसल चुराकर ले जाते है जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे सक्षम न्यायालय में चल रहे है तथा कई बार व गिरफ्तार भी हो चुके है मगर इसके बावजूद भी नहीं मानते है। जमीन के किनारे व सामने जमीन नेशनल हाईवे पर होने सें असामाजिक कार्य करते है जिसकी वजह सें वादीगण औरतें होने की वजह सें खेत में नहीं जा सकती है तथा प्रतिवादीगणों ने असामाजिक तत्वों से मिलकर वादीगण की फसल को नुकसान पहुचाते रहते है तथा वादीगण को हैरान व परेशान कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के खिलाफ झूंठे मुकदमे करके न्यायालय सें टीआई लेना चाहा जिसकी फैसला प्रार्थना पत्र संख्या 12/1997 दिनांक 22.06.2001 को हुआ जिसमें प्रतिवादीगण की टीआई खारिज हो चुकी है जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां होने पर अपील संख्या 101/2001 भी खारिज हुई। इसके बावजूद प्रतिवादीगण बदमाशों की मदद सें वादीगण की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते है व फसल को नुकसान पहुचा रहे है जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं है। वादकारण लगातार दो महिने सें वादीगण की फसल व जमीन को प्रतिवादीगण द्वारा नुकसान पहुंचाने सें व बेदखली की धमकी देने सें फसल नष्ट करने सें पहले फसल चोरी करने सें पैदा हुआ व दावा पेश करना लाजिम हुआ है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि प्रतिवादीगणों को स्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जो कि ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की आराजी खसरा नम्बर 602 रकबा 1 है0 व खसरा नम्बर 606 रकबा 0.50 हैक्टेयर वादीयागण के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी न करें, वादीयागण की जमीन व फसल को नुकसान पहुचाने, पैड़ पौधे काटने व वादीयागण को बेदखल करने सें बाज रहे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर सें वकील श्री अनिल कुमार शर्मा हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 3 फौत होने पर कायम मुकाम आवेदन बादसुनवाई स्वीकार किया गया तथा वारिसान को प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

संख्या 3/1 लगायत 3/5 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 3/1 लगायत 3/5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश किया गया। न्यायालय द्वारा तनकीयात कायमी की गई तथा साक्ष्य लिये गये। वकील प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के बावजूद वकील प्रतिवादी ने बहस हेतु निवेदन किया। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। साक्ष्यों पर गौर किया गया। चूंकि वादीयागण रिकॉर्डेड काबिज खातेदार है जिनकी खातेदारीशुदा भूमियों में दखलंदाजी का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। अतः न्यायहित में वादीयागण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3/1 लगायत 3/5 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जाता है कि ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 602 रकबा 1 हैО व खसरा नम्बर 606 रकबा 0.50 हैक्टेयर में वादीयागण के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी न करें, वादीयागण की जमीन व फसल को नुकसान पहुचाने, पैड़ पौधे काटने व वादीयागण को बेदखल करने सें बाज रहे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक,दांतारामगढ

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

चन्द्रादेवी आदि बनाम भगताराम आदि

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 156/दावा सन् 2013 निर्णय दिनांक. 14.10.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री योगेश शर्मा** मिनजानिब मुददई व श्री अनिल कुमार शर्मा मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादीयागण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित किया जाता है कि ग्राम रैवासा तहसील दातारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 602 रकबा 1.00 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 606 रकबा 0.50 हैक्टेयर में वादीयागण के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी न करें, वादीयागण की जमीन व फसल को नुकसान पहुचाने, पैड़ पौधे काटने व वादीयागण को बेदखल करने सें बाज रहे।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.10.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कमार)
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़(सीकर)
सहायक कलक्टर फास्ट्ट्रेक, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner